संख्या-06/2022/466/60-1-22-1/13(58)/03

प्रेषक,

सुनील कुमार यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 02 जून, 2022**

विषयः- पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवीन भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक् अपने पत्र सं0-18/म0क0निदे0/निरा0म0पें0 (लक्ष्य)/2022- 23, दिनांक 12.04.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जो पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवीन भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पति की मृत्युपरान्त निरारित महिलाओं को पेंशन दिये जाने हेतु शासनादेश संख्या-35984/60-1099/124/2020, दिनांक 23.11.2020 द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्य को आपके अनुरोध के क्रम में जनपदवार विवरण के अनुसार अनुदान संख्या-49 (राजस्व) में 24,89,887, अनुदान संख्या-81 (राजस्व) में 11,104 तथा अनुदान संख्या-83 (राजस्व) में 9,09,009 इस प्रकार कुल कुल 34,10,000 लाभार्थियों का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।